डाक-व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25-अ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 जनवरी 2002—माघ 9, शक 1923

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2002

अधिसूचना

क्रमांक 1793/डी-15/127/2001-2002/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 4 सहपठित धारा 69 की उप-धारा (1) को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ऐसे गेहूं पर, जो छत्तीसगढ़ में स्थित रोलर फ्लोर मिलों के द्वारा प्रसंस्करण के लिए लाया जाता है, मण्डी शुल्क पर छूट प्रदान करती है. यह छूट 1 दिसम्बर, 2001 से 31 नवम्बर, 2002 तक प्रभावशील होगा. उप-विधि 20 (8) के प्रत्येक उपबंध के अनुसार संबंधित मण्डी में जहां रोलर मिल स्थित है पाक्षिक विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा.

Raipur, the 28th January 2002

NOTIFICATION

No. 1793/D-15/127/2001-2002/14-3.—In exercise of the power conferred by Sub-section (1) of Section 69- read with Section 4 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby exempts the Market Fees on wheat which is brought for the processing by the roller mills situated in Chhattisgarh. This exemption shall be effective from 1st December, 2001 to 31st November, 2002. As per provision of bye laws 20 (8) the fortnightly statement shall be compulsarily submitted in the concerned mandi where the roller mill is situated.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.